(88)

राजस्व वाद संख्या 47/2017

न्यायालय सहायक कलक्टर मु0, नागौर

बेईजलास—दीपांशु सांगवान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 47/2017

वादीगण—

1. श्रवण कुमार पुत्र प्रहलादराम उम्र 47 वर्ष
2. मुरलीधर पुत्र बद्रीराम उम्र 50 वर्ष
3. रामदेव पुत्र पुरखाराम उम्र 62 वर्ष

जातियान अचारी निवासीगण डेह तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण—

1. ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम पुत्र गोपीराम उम्र 50 वर्ष
2. नौरतन पुत्र धनाराम उम्र 52 वर्ष
3. लिछमणराम पुत्र धनाराम उम्र 46 वर्ष
4. बीरबलराम पुत्र धनाराम उम्र 44 वर्ष
5. संतोष पुत्री धनाराम उम्र 54 वर्ष
6. पुष्पा पुत्री धनाराम उम्र 50 वर्ष
7. मैना पुत्री धनाराम उम्र 42 वर्ष
8. राजू पुत्री धनाराम उम्र 40 वर्ष
9. चमेली पत्नी उकाराम उम्र 28 वर्ष
10. जितेन्द्र पुत्र उकाराम उम्र 54 वर्ष
11. जीवराज पुत्र उकाराम उम्र 28 वर्ष
12. सुन्दरी पुत्री उकाराम उम्र 24 वर्ष
13. ईश्वर पुत्र उकाराम उम्र 22 वर्ष
14. कपिल पुत्र उकाराम उम्र 19 वर्ष
15. निर्मल पुत्र उकाराम उम्र 18 वर्ष
16. कमला पत्नी बद्रीराम उम्र 80 वर्ष
17. हनुमानप्रसाद पुत्र बद्रीराम उम्र 62 वर्ष
18 ज्यानकीलाल पुत्र बद्रीराम उम्र 60 वर्ष
19. लीला पुत्री बद्रीराम उम्र 58 वर्ष
20. रामेश्वर पुत्र बद्रीराम उम्र 56 वर्ष
21. रामकुवार पुत्र बद्रीराम उम्र 46 वर्ष
22. सजुदेवी पुत्री बद्रीराम उम्र 46 वर्ष
23. चुकी पुत्री बद्रीराम उम्र 44 वर्ष
24. इग्यारसी पुत्री बद्रीराम उम्र 48 वर्ष
25. गुड्डी पुत्री गोरधनराम उम्र 26 वर्ष
26. बजरंगलाल पुत्र सोहनलाल उम्र 50 वर्ष
27. हुकमाराम पुत्र सोहनलाल उम्र 48 वर्ष
28. गीता पुत्री सोहनराम उम्र 46 वर्ष
29. सीता पुत्री सोहनराम उम्र 40 वर्ष
30. कमलादेवी पत्नी प्रहलादराम उम्र 58 वर्ष
31. मायाराम पुत्र प्रहलादराम उम्र 44 वर्ष

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

32. मन्जु पुत्री प्रहलादराम उम्र 42 वर्ष
33. संतोष पुत्री प्रहलादराम उम्र 38 वर्ष
जातियान अचारी निवासीगण डेह तहसील जायल जिला नागौर।
34. राजु पुत्र भीसम्बर उम्र 30 वर्ष
35. सुमन पुत्री भीससम्बर उम्र 28 वर्ष
36 पारा पुत्री भीसम्बर उम्र 26 वर्ष
37. सागर पुत्र भीसम्बर उम्र 22 वर्ष
जातियान अचारी निवासीगण बारी की ढाणी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
38. सुखदेव पुत्र पुरखाराम उम्र 75 वर्ष
39. भीकाराम पुत्र मनसुखराम उम्र 76 वर्ष फौत के कायम मुकाम
39/1 छोटी देवी पत्नि स्व. भीकाराम
39/2 बाबूलाल पुत्र स्व. भीकाराम
39/3 संतोष पुत्र स्व. भीकाराम
39/4 राजूराम पुत्र स्व. भीकाराम
40. मिलापचंद पुत्र मनसुखराम उम्र 65 वर्ष
जातियान अचारी निवासीगण डेह तहसील जायल जिला नागौर।
41. रामकंवारी पुत्री मनसुखराम उम्र 68 वर्ष जाति अचारी निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।
42. रूकमा पुत्री मनसुखराम उम्र 66 वर्ष
43. नेनी पुत्री मनसुखराम उम्र 63 वर्ष
जातियान अचारी निवासीगण बोरावड़ तहसील मकराना जिला नागौर।
44. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाडा, रेकर्ड दुरूस्ती
वाद अधीन धारा 88, 89, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय — दिनांक 27.3.2019

1. वकील वादी ने एक वाद प्रस्तुत कर ईस्तदुआ की है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 43 सहकब्जे काश्त की पुश्तेनी अविभाजित खातेदारीसुदा भूमि हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 12 बीघा व खसरा नं. 124 रकबा 63 बीघा कुल रकबा 75 बीघा वाके सरहद मौजा जांजोलाई पटवार हल्का झाड़ीसरा तहसील नागौर में स्थित है नकल खतौनी साथ पेश है।

2. यह है कि उक्त आराजी पक्षकारान की पुश्तेनी अविभाजित है इसके अलावा भी पक्षकारान के अन्य चल व अचल सम्पतियां स्थित रही है पक्षकारान ने अपने परिवार की तमाम चल व अचल सम्पतियों का आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया जिसके अनुसार उक्त दोनों खेताय केवल मात्र वादीगण के बंट में ही रखे, इनमें प्रतिवादीगण ने अपना कोई हक,बंट, कब्जा नहीं रखा व अन्य सम्पतियां बंट में प्राप्त कर ली जिसे उक्त आराजी के आज दिन वादीगण ही एक मात्र काबित खातेदार हुए, रहे है तथा वादीगण ने उक्त भूमि का बंटवाडा मौके पर कर रखा है।

अ— वादी संख्या 1 श्रवणराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नम्बर 124 रकबा 63 बीघा में से 11 बीघा सम्पूर्ण रकबा मे मध्य का भाग पूर्व—पश्चिम लम्बाई में

पूर्वी भाग व खसरा नं. 69 रकबा 12 बीघा में से 6 बीघा दक्षिणी–पूर्वी भाग रखा गया है।

ब– वादी संख्या 2 मुरलीधर के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नं. 124 रकबा 63 बीघा में से 22 बीघा पूर्वी उतरी हिस्सा व खसरा नं. 69 रकबा 12 बीघा मे से 6 बीघा उतरी–पूर्वी भाग रखा गया है

स– वादी संख्या 3 रामदेव के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नं. 124 रकबा 63 बीघा में से 30 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भाग रखा गया।

वादीगण के बंट में रकबा कम ज्यादा भूमि की उपजाऊ क्षमता के कारण आपसी सहमति से रखा गया है। वादीगण के उपरोक्त बंट व मौके पर काबिज स्थिति को स्पष्ट करने हेतु मौके के हालात का नजरी नक्शा वाद के साथ पेश किया जा रहा है जो वाद का अभिन्न अंग है व नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार ही भौतिक करने हेतु वाद पेश है। वादीगण की प्रार्थना है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर फरमाते–

क– कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 12 बीघा व खसरा नं. 124 रकबा 63 बीघा कुल रकबा 75 बीघा वाके सरहद मौजा जांजोलाई पटवार हल्का झाड़ीसरा तहसील नागौर का वाद में बताये अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 43 का नाम हटाया जाकर केवल वादीगण की खातेदारी का घौषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती की जावे।

ख– कि तत्पश्चात उक्त आराजी का वादीगण के मध्य वाद के पैरा संख्या 3 के उप पैरा संख्या अ,ब,स में बताये अनुसार व संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार अलग बंट कब्जा काश्त खातेदारी की घौषणा की जावे।

ग– कि माफिक घौषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व बंटवाडा अनुसार वादीगण के नाम अलग अलग खाते में खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी की जावे।

द– अन्य दादरसी जो लाभार्थ वादीगण को प्रदान करावे।

3 वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8 से 33 एवं प्रतिवादीगण संख्या 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 व 43 की ओर से ईकबाली जबाब वकील श्री हरदेवराम ने पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 एवं प्रतिवादीगण संख्या 39/1 से 39/4 की तरफ से ईकबाली जबाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया।

वादी ने वाद के समर्थन में वादी श्रवणकुमार एवं गवाह हरिराम के बयान करवाये तथा राजस्व रेकर्ड नकल खतौनी प्रदर्श 1 व 2 प्रस्तुत किये।

4 बहस वकुलाय सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सभी ने ईकबाली जबाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। । अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

अ– वादी संख्या 1 श्रवणराम के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नम्बर 124 रकबा 63 बीघा में से 11 बीघा सम्पूर्ण रकबा के मध्य का भाग पूर्व–पश्चिम लम्बाई में पूर्वी भाग व खसरा नम्बर 69 रकबा 12 बीघा में से 6 बीघा दक्षिणी–पूर्वी भाग घोषित किया जाता है।

ब– वादी संख्या 2 सुरलीधर के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नम्बर 124 रकबा 63 बीघा में से 22 बीघा पूर्वी उतरी हिस्सा व खसरा नम्बर 69 रकबा 12 बीघा में से 6 बीघा उतरी–पूर्वी भाग घोषित किया जाता है।

स– वादी संख्या 3 रामदेव के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नम्बर 124 रकबा 63 बीघा में से 30 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भाग घोषित किया जाता है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 69 रकबा 12 बीघा एवं खसरा नम्बर 124 रकबा 63 बीघा मौजा जाजोलाई तहसील नागौर पक्षकारान के सहखातेदारी में दर्ज साबित है। उक्त खसरा नम्बरो में प्रतिवादीगण 1 से 43 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादीगण संख्या 1 से 3 अपने अकेलो की खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। सहखातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि होगी। अतः वादीगण का वाद इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त खेताय मय प्रतिवादीगण संख्या 1 से 43 के हिस्से की भूमि कि उक्त ग्राम की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी दर के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के रूपये तहसील कार्यालय नागौर राजकोष में जमा करवाये जाने पर वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जावे

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 27.3.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

(दीपांशु सांगवान)
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर